कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 740 /FP/UK/ROAD/37612/2018 दिनॉकःदेहरादून 16 सितम्बर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः–जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/37612/2018)

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 26–03–2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 26–03–2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 741/12–1 08.09.2021 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point no. 1. Following observation noticed respect of muck disposal:-	
(a)	Nodal Officer Submitted that complete 4.463 ha area in non-forest land selected for muck disposal which does not appear correct because as per bar chart some alignment of road is also proposed in non forest area. Further as per muck disposal plan 1.7549 ha area selected for muck disposal. State govt. may submit details and clarification in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग हेतु 3.238 हे0 वन भूमि तथा 4.463 हे0 नाप भूमि पड़ रही है, मक डिस्पोजल प्लान को संशोधित करते हुए वर्तमान में 1.925 हे0 नाप भूमि का चयन किया गया है, जो ऑनलाईन पार्ट–1 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड किया गया है।
(b)	Swell factor still not including in much disposal plan. State govt. may include the swell factor in the muck disposal plan.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित 1.925 हे0 नाप भूमि में एक डिस्पोजल प्रस्तावित है, जिसमें स्वैल फैक्टर 40 प्रतिशतल को उक्त मक डिस्पोजल प्लान में सम्मिलित कर दिया गया है।
(c)	It is seen that 7 muck dumping site selected in Non-forest land and the area & carrying capacity of all seven sites are same i.e 0.2507 ha & 13790 cum which is highly improbable. State govt. may submit clarification in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मक डिस्पोजल हेतु नाप भूमि में 4 डम्पिंग साईड यथा 0.490 हे0 0.470 हे0, 0.490 हे0 तथा 0. 475 हे0 कुल 1.925 हे0 नाप भूमि का चयन किया गया है।
(d)	State govt. may Mark the location of all muck dumping site in KML file and upload the same at para C (ii) (b) in part I online.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मक डम्पिंग साईड की लोकेशन को के0एम0एल0 फाईल पर दर्शाते हुए उक्त को ऑनलाईन के पार्ट–1 के पैरा–C(b) पर अपलोड कर दिया गया है।
(e)	State govt. is requested to submit detailed muck disposal plan based on scientific study duly authenticated by DFO.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित मक डिस्पोजल प्लान को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया, जिसको ऑनलाईन

		पार्ट–1 में अतिरिक्त सूचना के रूप मे अपलोड किया गया है।
(ii)	In reply to point No. 2. State govt. is again requested to restrict the road up to point no. 35.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग पूर्व निर्मित सूर्यधार सनगांव मोटर मार्ग कि0मी0 6.00 से प्रारम्भ होकर ग्राम सनगांव को जोडते हुए सिन्धववाल गांव, नाहीकल, बड़कोट, कोटला तोक को जोड़ता है। डिजिटल मैप के कम सं0–35 से आगे प्रस्तावित संरेखण नाहीकला, कोटला तोक तथा बड़कोट तोक तक जा रहा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 84 हे। उक्त ग्राम, ग्राम पंचायत नाहीकलां के अन्तर्गत आता है, नाहीकलां ग्राम पंचायत नाहीकला के अन्तर्गत आता है, नाहींकलां ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी है, जिस पर आवागमन होना बहुत जरूरी है इस गांव के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि क0सं0–35 से आगे 52 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। कोटला पंचायत नाहीकला तक अपने बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा के लिए सुगमता से पहुंच पायेंगे। इस सम्बन्ध में संशोधित प्रतिवेदन ऑनलाईन पार्ट–1 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकनार्थ संलग्न है।
(iii)	In reply to point No. 3 Following observation are notices:-	
(a)	In reply to point no. 4 of EDS dated 13-08-2020. it is submitted that no alternate possible and more tree affecting in alternated. state govt. is again requested to upload the details of same at para D (ii) a in part I and submit the comparative chart duly authenticated by DFO.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रशनगत मोटर मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा अन्य वैकल्पिक संरेखण पर विचार किया गया। वैकल्पिक संरेखणों पर अत्यधिक वन भूमि व अधिक से अधिक वृक्षों का पातन होना निहित था, जिससे स्थानीय जनता द्वारा भी उक्त वैकल्पिक संरेखणों पर आकोश व्यक्त किया गया, फलस्वरूप वर्तमान में प्रस्तावित संरेखण को ही उक्त परियोजना हेतु उपयुक्त पाया गया। इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र ऑनलाईन के पार्ट–1 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड किया गया है।
(b)	In reply to point no. 10 of EDS dated 13-08-2020 road distance found uploaded instead of aerial distance State govt. may uploaded the aerial distance certificate.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आपत्ति के कम में प्रश्नगत परियोजना क्षेत्र की वन्यजीव अभ्यारण से दूरी का अभिलेख/प्रमाण पत्र आनलाईन के पार्ट–1 व पार्ट–2 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकन हेतु अपलोड कर दिया गया है।
(c)	In reply to point No. 11 of EDS dated 13-08-2020. still complete 3.238 ha area mentioned as reserve forest in DFO's SIR state govt. may submit clarification and submit correct SIR.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आपत्ति के कम में सम्बन्धित परियोजना की स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि यथा आरक्षित वन भूमि 2.013 हे0 तथा सिविल भूमि 1. 225 हे0 कुल 3.238 हे0 वन भूमि अंकित करते हुए संशोधित (SIR) परिवेश पोर्टल के ऑनलाईन पार्ट–2 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गयी है।
(d)	In reply to point no. 16 of EDS dated 13-08-2020, submitted that 240.5851 ha area diverted but the same still not corrected at para 14 in part II. State govt. may fill the same in District profile at para 14 in part II.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस आपत्ति के कम में कुल हस्तान्तरित वन भूमि यथा 2450.5851 हे0 को परिवेश पोर्टल के पार्ट–2 के पैरा–14 में अपडेट कर दिया गया है।

(e)	In reply to point no. 17 of EDS dated 13-08-2020, still no comments made by DFO against para 5.3 in his SIR. State govt. may provide the SIR of DFO with his comments against para 5.3.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) में उक्त पैरा 5.3 के सापेक्ष टिप्पणी अंकित करते हुए संशोधित निरीक्षण आख्या अतिरिक्त सूचना के रूप में पार्ट–2 में अपलोड कर किया गया है।
(iv)	In reply to point no. 4 details of trees now uploaded in cm but the details mentioned at para 4 in part II are not matching with details submitted in tree enumeration list. State govt. may remove this discrepancy and submit the correct information/document.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु चिन्हित भूमि यथा आरक्षित वन नाहीं कक्ष सं0–2, नाहीं कक्ष सं0–3 व नाही कक्षि सं0–4 में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के 211 वृक्ष तथा ग्राम समाज (Civil Land) पर विभन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के 179 वृक्ष बाधक है। अर्थात आरक्षित वन भूमि पर 211 वृक्ष व सिविल भूमि पर 179 वृक्ष कुल 390 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जिन्हें पार्ट–II के पैरा–4 में दर्शाया गया है। शेष 134 वृक्ष नाप भूमि (Private land) पर विद्यमान हैं, जिनको परिवेश पोर्टल के पार्ट–II में अंकित नहीं किया गया है।
(v)	In reply to point no. 5 Nodal officer submitted that revised inspection report of CF correcting number of trees has been uploaded but the same is not found uploaded online. State govt. may submit clarification and submit/upload the revised inspection report of CF mentioning correct number of tree.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव के क्रम में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून की स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

संलग्न :- यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक / **FP/UK/ROAD/37612/2018/** दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 741/12–1 दिनांक 08.09.2021 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।